



UPLK010069712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3302/2026

श्रीमती रेखा वर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पत्नी लवकुश वर्मा, निवासिनी-पूरे जवर, बाराबंकी। हाल पता-
ग्राम-बसहा, गढ़ी गाँव, नियर(गढ़ी चौक) कुर्सी रोड, लखनऊ

.....**प्रार्थिनी/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**अभियोगी।**

अपराध संख्या-172/2026

धारा-191(2), 191(3), 110, 352, 115(2),

351(3) भारतीय न्याय संहिता,

थाना-गुडम्बा, लखनऊ।

दिनांक-09.06.2026.

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती रेखा वर्मा** की ओर से मु०अ०सं०-172/2026, अन्तर्गत धारा-191(2), 191(3), 110, 352, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना-गुडम्बा, लखनऊ, में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. मय शपथपत्र अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विवेक दयाल द्वारा दिनांक 25.04.2026 की रात्रि लगभग 09:00 बजे उसके पड़ोस में अपना मकान निर्माण करा रहे लवकुश वर्मा, रेखा वर्मा, अमरीश व 4-5 अन्य लोगों द्वारा मिलकर उसपर हमला करते हुये उसे, उसके भाई आशीष दयाल व उसकी भाभी नीतू दयाल को लोहे के रॉड फावड़ा, बेलचा, जनरेटर का हैंडल, कील लगा हुआ पटरा आदि से गंभीर वार कर गंभीर चोट पहुँचाने, महिलाओं के साथ अभद्रता व मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में दिनांक 26.04.2026 को समय 16:02 बजे थाना-गुडम्बा, लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि प्रार्थिनी जब अपने प्लॉट सं०-34 खसरा सं०-469 पर भवन का निर्माण करा रही थी तो वादी मुकदमा व उसके अन्य साथियों द्वारा निर्माण रोकने की धमकी दी और दिनांक 25.04.2026 को लगभग रात 08:30 बजे लोहे के रॉड व लाठी-डंडा से वादिनी व उसक परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया और उसके कपड़े फाड़ दिया और उसके साथ अभद्रता की। वादी मुकदमा सचिवालय में पशुपालन विभाग में कार्यरत है तथा अपनी नौकरी की धमकी देता है कि अगर भवन का निर्माण किया तो जान से मार देगा। प्रार्थिनी का पति अपने निकट पुलिस चौकी दिनांक 25.04.2026 को शिकायत लेकर पहुँचा तो पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के दबाव में उसके पति को ही हिरासत में लेकर धारा 170,

126, 135 बी.एन.एस.एस. में चालान कर दिया गया। उक्त घटना के सम्बंध में दिनांक 06.05.2026 को 1076 पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी तथा महिला आयोग में भी दिनांक 07.05.2026 को सूचना दी थी। थाना-गुडम्बा की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी के साथ हुई घटना की रिपोर्ट न लिखकर वादी की रिपोर्ट लिख ली गयी। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले में आरोपित अपराध 7 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में विवेचना प्रचलित है, प्रार्थिनी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध सात वर्ष तक की अवधि की सजा से दण्डनीय हैं, उसको धारा-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया गया।

6. यह जमानत आवेदन धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उपबन्धित प्रावधानों के तहत प्रार्थिनी/अभियुक्त के प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका को देखा जाना है। उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है।

7. निर्णय विधि **Arnesh Kumar Vs. State of Bihar & Anr., [(2014) 8 SCC 273]** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश/व्यवस्था अनुपालनार्थ जारी किये गये हैं :-

“Our endeavour in this judgment is to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure what we have observed above, we give the following direction:

All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, Cr.PC;

All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);

The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention;

The Magistrate while authorising detention of the accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorise detention;

The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing;

Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing;

Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction.

Authorising detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court.

We hasten to add that the directions aforesaid shall not only apply to the cases under Section 498-A of the I.P.C. or Section 4 of the Dowry Prohibition Act, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years; whether with or without fine.”

8. प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने तथा वादी मुकदमा, उसके भाई व भाभी को लोहे के रॉड फावड़ा, बेलचा आदि से उपहति कारित करने, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास करने का अपराध आक्षेपित है।

9. पक्षकारों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि आक्षेपित अपराध सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है तथा प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। धारा-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **अर्नेश कुमार(उपरोक्त)** के दृष्टिगत प्रार्थिनी/अभियुक्ता को गिरफ्तारी से पर्याप्त वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। विवेचनाधिकारी से यह अपेक्षित है कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरुद्ध धारा-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, यदि नोटिस निर्गत न की गयी हो, तो दो सप्ताह के भीतर नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करे तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त नोटिस को प्राप्त कर विवेचना में पूर्ण सहयोग करे। तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार, प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती रेखा वर्मा** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित विवेचनाधिकारी को अनुपालनार्थ भेजी जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ